13-6-17

पत्रावली नालस लोक अदालत हेतु आज की सुनवाई पर पेश हुई। खुरवा की मृत्यु हो जाने के उसके वारिसान के रूप में एक मात्र वारिसान याने कायम मुकाम कीमाति भोली देवी बेवा लोनाथ जाट उपस्थित। वादिया उपस्थित। वादिया की पहचान करवाय, दशरथकंवर, ग्राम पंचायत सुरास की थी। वादिया ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादिया ने बहस करनी चाही। वादिया की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वादिया ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर वादिया वादपत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए खारीज किये जाने की दरख्वास्त की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा का बयान कर देना, तथा आराजियात में 1/2 हिस्सा का ... अब कोई हक व हिस्सा नहीं होने तथा अब कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण वादिया का वाद पत्र बाबत करवाये जाने विभाजन आराजियात का खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
माण्डल

मांगीदेवी

दशरथकंवर
सरपंच
ग्राम पंचायत सुरा
पं. स. माण्डल